न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 01/2019
तारीख निर्णय– 21/09/2020

प्रार्थी :–

स्व. विरमजी पुत्र रकबाजी जाति–मेघवाल, निवासी–नाडोल के कायम मुकाम
1. जसकी पत्नी स्व वीरमजी
2. मोहनलाल पुत्र वीरमजी
3. लकमाराम पुत्र वीरमजी
4. गोगाराम पुत्र वीरमजी के कायम मुकाम
   4/1 कस्तुरी बाई पत्नी गोगाराम
5. दोलाराम पुत्र वीरमजी के कायम मुकाम
   5/1 गणेश पुत्र दोलाराम
   5/2 पेमाराम पुत्र दोलाराम
   5/3 सदना पत्नी दोलाराम
6. शेषाराम पुत्र वीरमजी व कन्या देवी पत्नी शेषाराम जी की फौत होने से कायम मुकाम
   6/1 रमेश पुत्र शेषाराम
   6/2 नरेश पुत्र शेषाराम
   6/3 परेश पुत्र शेषाराम
   6/4 वदीयॉ पुत्र शेषाराम
   जातिगण–मेघवाल, निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम :–

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से– वकील श्री सुरेश दवे, सुशील दवे।
अप्रार्थी की ओर से–सरकारी पैराकार तहसीलदार देसूरी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक :– 21.09.2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाडोल–2 पटवार हल्का– नाडोल–2 तहसील–देसूरी संवत् 2026 से 2029 में आराजी कृषि भूमि वीरमजी पुत्र रकबा काश्त–भांबी सा.देय खातेदारी

पेज लगातार नम्बर 2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खसरा नम्बर 2115 क्षेत्रफल 1.25 बीघा कृषि के नाम इन्द्राज है। तमाम् प्रार्थीगण वीरमजी पुत्र रकबा के मृत्यु के पश्चात सा.देय खातेदार है तथा उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा हैं।

यह है कि सेटलमेन्ट के दौरान पुराने खसरा नम्बर 2115 क्षेत्रफल 1.25 बीघा को सपरिवर्तन करके नये खसरा नम्बर 5108/5779 रकबा 1.9500 काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत बा.दो. में दर्ज की गई। जो कि पूर्णरूप से गलत है एवम् भूलवंश दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट के दौरान तकनीकी खराबी तथा भूलवंश प्रार्थीगण हक हिस्से मे आ रही कृषि भूमि 1.25 बीघा में से प्रार्थीगण का नाम बिना किसी उचित कारण नजर अन्दाज कर हटा दिया गया।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सवत् 2070–2073 में खसरा नम्बर 5108/5779 रकबा 1.9500 किस्म बा.दो काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत को सपरिवर्तन कर प्रार्थीगण के हक हिस्से में आयी पुश्तैनी आराजी कृषि भूमि 1.25 बीघा प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकोर्ड अनुसार सवत् 2026 से 2029 में खाता सख्या 392 में टीकम पुत्र वरदा पुत्र वीरम के नाम खसरा नम्बर 2115 क्षेत्रफल 1.25 बीघा दर्ज थी। मिसल बन्दोबस्त मे बनाया गया मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 5108/5779 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह सिद्ध नही होता है कि पुराने खसरा नम्बर 2115 से पडे हो। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान खाते बाबत कोई विवरण नही दिया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली एवम् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवम् अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 2115 क्षेत्रफल 1.95 बीघा में से प्रार्थी को 1.25 बीघा की खातेदारी चाही गई हैं। प्रार्थी द्वारा मिसल बन्दोबस्त में बनाया गया मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 5108/5779 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह सिद्ध नही होता है कि पुराने खसरा नम्बर 2115 से ही नये खसरा नम्बर 5108/5779 बने हो।

प्रार्थी जिस आराजी खसरा नम्बर 5108/5779 रकबा 1.9500 हैक्टर के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती चाहा रहा है, जिसके हिसाब से प्रार्थी को 1.9500 हैक्टर का प्रार्थना पत्र पेश करना थ जबकि प्रार्थी ने 1.25 बीघा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अधिकार अभिलेख प्रस्तुत नही किया है जिससे यह माना जा सके कि गत् सेटलमेन्ट की कार्यवाही से पूर्व प्रार्थी जमाबन्दी में गैर खातेदार था [illegible] हुआ हो एवम् प्रार्थी द्वारा यह भी नही बताया कि जमाबन्दी में [illegible] की किस प्रकार और कैसे इन्द्राजात की लिपिकीय त्रुटी से वादग्रस्त [illegible] है। [illegible] लगातार नम्बर 3 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः राजस्व अधिनियम की धारा –136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राज संबंधित अविवादित लिपिकीय त्रुटी को ही सुधार जा सकता है एवम् प्रार्थी ऐसी अविवादित इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटी होना साबित नही करवा पाया है एवम् धारा 136 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन में न्यायालय की सुविचारित राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हस्ब धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवृत नही होने से कानूनन स्वीकार योग्य नही है।

–:आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र हस्ब धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested